

[अध्यक्ष महोदय]

से बोलना है तो मैं इजाजत नहीं दे सकता ।

श्री तुलशी बास आघव : अगर आप की आज्ञा होगी तभी मैं बोलूंगा । मेरा कहना यह है कि यहां पर बड़ी अजीब बात है कि एक आदमी बोलता है तब दूसरे लोग उस को सुनते नहीं हैं, चार पांच खड़े हो जाते हैं । 5 परसेंट आदमी सब गड़बड़ी करते हैं, जो 95 परसेंट आदमी सुनने वाले होते हैं वह बैठे होते हैं । आप को हाउस की मदद करनी चाहिए । कल की बात आप को मालूम है कि राज्य सभा में क्या क्या गड़बड़ हुई । अक्सर में.. (व्यवधान)...

MR. SPEAKER : I do not allow it. Will you please sit down ?

श्री तुलशी बास आघव : मेरी विनती है कि इस हाउस में हमारे जैसे लोग जो हैं उनका भी कुछ ज्यादा आदर किया जाय ।

अध्यक्ष महोदय : हम ऐसे आदमियों का आदर नहीं करेंगे जो स्पीकर का कहना नहीं मानते ।

SHRI RAGHU RAMAIAH : I have really nothing to add to what you have so wisely remarked at the end of all these speeches. They are very valuable suggestions. Of course, as regards the part-heard discussion moved by Shri Prakash Vir Shastri, we will certainly provide for it. It is a question of time. We cannot lose sight of it. It has to be provided.

SHRI SURENDRANATH DWIVEDY : Next week.

SHRI RAGHU RAMAIAH : As you have rightly said, we will take note of whatever has been said and whatever can be done will be done.

12.48 hrs.

PERSONAL EXPLANATION BY MEMBER

(Shri Chandrajeet Yadav)

MR. SPEAKER : Shri Chandrajeet

Yadav wanted to make a personal explanation.

SHRI CHENGALRAYA NAIDU (Chittoor) : Shri Manubhai Patel is not here. It is better he is also here. You can allow him on Monday. That is my request.

श्री चन्द्रजीत यादव (आजमगढ़) : अध्यक्ष महोदय, गत 26 तारीख को मेरी अनुपस्थिति में सदन में श्री मनुभाई पटेल ने मेरा नाम ले कर मेरे सम्बन्ध में एक अत्यन्त आपत्तिजनक आक्षेप किया है जिस का मैं स्पष्टीकरण करने के लिए आप की अनुमति चाहता हूं ।

श्री पटेल ने सदन में बोलते हुए कहा कि : "परसों ही कांग्रेस वर्किंग कमेटी में जो तीन नये सदस्य लिये गये हैं अर्थात् श्री चन्द्रजीत यादव, श्रीमती नन्दिनी सत्यपी और श्री गणेश, उन के बारे में श्री विन्तामणि पाणिग्रही और श्री वेदव्रत बरुआ आदि ने जाकर प्राइम मिनिस्टर से यही शिकायत की है कि वह कम्युनिस्ट हैं । उन्होंने कहा कि वह कम्युनिस्ट हैं मैं इस लिए विरोध नहीं करता हूँ, मैं विरोध इसलिए करता हूँ कि बे आर एम्बेसी पीपल होने की वजह से उसी दल के साथियों ने उन की शिकायत की है ।"

उपरोक्त आक्षेप शरारतपूर्ण असत्य निराचार और गैर-जिम्मेवारी से भरा हुआ है । मैं इस घृणास्पद आरोप को अस्वीकार करते हुए कहना चाहता हूँ कि इस माननीय सदन में किसी भी व्यक्ति के विरुद्ध चाहे वह सदन का सदस्य हो या न हो उसके चरित्र के सम्बन्ध में किसी भी प्रकार का आक्षेप करते हुए पूर्ण सावधानी एवं उत्तरदायित्व का परिचय देना चाहिए ।

SHRI CHENGALRAYA NAIDU : Shri Manubhai Patel only said what he had read in the papers.

श्री राम किशन गुप्त (हिसार) : उन के अपने आदमी कह रहे हैं। उन के प्रेजिडेंट ने खुद कहा कि मैंने गलती की कि उन को वर्किंग कमेटी में लिया है।

MR. SPEAKER : I am very sorry that these aspersive remarks were made. The members should always respect each other. After all, we have a number of difficult issues and we differ on them, but this is not the way, to throw all sorts of aspersions on another hon. Member. I am very sorry. I never approve of it. Nor will I allow anybody from this side or any side to do the same.

12.50 hrs.

OATHS BILL—contd.

श्री रणधीर सिंह (रोहतक) : हाउस के सामने जो बिल है, उसकी मैं हिमायत करता हूँ। हमारे देश की बहुत ज्यादा आबादी है, हमारा देश बहुत बड़ा है, हमारे देश में मुस्लिम धर्म और मजहबों को मानने वाले लोग रहते हैं, उनके रस्मों और अलग अलग हैं, उनके खयालात अलग अलग हैं, मुस्लिम देवी देवताओं की यहां पूजा होती है और इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए ला कमीशन की तरफ से जो सिफारिशें आई हैं और उनकी वेसिस पर जो बिल मिनिस्टर साहब ने हाउस के सामने पेश किया है, उसकी मैं हिमायत करता हूँ।

पहली प्रश्न तो मैं यह करना चाहता हूँ कि हर एक बिल में जो यह रखा जाता है क्लॉज 1 में कि जम्मू और काश्मीर पर यह लागू नहीं होगा, इसकी मैं मुखातिफ करता हूँ। जम्मू काश्मीर हिन्दुस्तान का एक हिस्सा है और उस पर इसको तथा दूसरे बिलों को लागू न किया जाए, यह समझ में नहीं आता है। उस पर भी इसको लागू किया जाना चाहिये।

दूसरी बात मैं यह कहना चाहता हूँ कि क्लॉज 2 और क्लॉज 3 बी में कंटेडिकशन है। क्लॉज दो सेविंग क्लॉज है। यह कहा गया है कि इस बिल की आर्डर फोर्स पर एप्लीकेशन नहीं होगा। कोर्ट मार्शल के लिए, उनके सामने जाने के लिए ओथ्स की जरूरत नहीं होगी। यह चीज आर्डर परसनल पर एप्लाइ नहीं करेगी। लेकिन साथ ही साथ क्लॉज 3 बी में आप कहते हैं :

"the commanding officer of any military, naval, or air force station or ship occupied by the Armed Forces of the Union....."

इसका मतलब यह है कि उन पर यह लागू होगी। मैं समझता हूँ कि 3 बी जो है वह रिडंडेंट है, बेमानी है और इसको डिलीट कर दिया जाए।

बिटनैसिस के लिए, ज्यूरज के लिए खाल तौर पर इस बिल की एप्लीकेशन होगी। कुछ भाइयों ने कहा है कि क्लॉज 6 और क्लॉज 7 बेकार हैं। मैं समझता हूँ कि ये बेकार नहीं हैं। ये तो इस बिल की जान हैं। उन्होंने ऐसा समझ लिया है कि कोई आदमी धर्म की सौमन्य नहीं उठायेगा या एक्मेशन की बात नहीं करेगा तो जितनी प्रोसीडिंग है अदालत के सामने या जितना एबीडेंस है या और कोई इस किस्म की प्रोसीडिंग है वे सारी की सारी नल एंड वायड होंगी। इसका मतलब तो यह हुआ कि आम तौर पर जो हम रोज बात करते हैं वह सारी झूठी बात करते हैं अदालत से बाहर हम बात करते हैं, हाउस में करते हैं या और कहीं करते हैं, उसके बारे में यह प्रिन्सिपल कर लिया जाएगा कि सारी झूठी बात है। ओथ इस वास्ते ली जाती है कि प्रोसीडिंग की थोड़ी ज्यादा सेंटेटी हो जाए। यह बात बिल्कुल ठीक है। आप भी अध्यक्ष महोदय, वकील हैं। आप जानते हैं सी० आर० पी० सी० के सेक्शन 537 को। अगर कोई ओमिशन